

जे. वी. गुप्ता, के समक्ष जे.

होला राम, गिरधारी लाल का पुत्र, -वादी/याचिकाकर्ता।

बनाम

केवल कृष्ण और अन्य, -प्रतिवादी/प्रतिवादी।

1988 का नागरिक संशोधन संख्या 322।

28 जुलाई 1989.

सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 115—वादी बराबर हिस्से में किरायेदार होने का दावा करते हैं—एक किरायेदार की मृत्यु-पूरी भूमि पर दूसरे किरायेदार का दावा-ऐसा दावा-की वैधता।

माना गया कि वादी ने दावा किया कि वे मुकदमे की जमीन पर बराबर हिस्से में यानी आधे-आधे हिस्से में किरायेदार हैं। यदि एक बार शेयरों का निर्धारण हो गया तो एक किरायेदार की मृत्यु पर दूसरा किरायेदार पूरी जमीन पर किरायेदार होने का दावा नहीं करेगा। 'पैरा 4)

धारा 44 पंजाब कोर्ट ऑफ एक्ट और धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका। श्री धर्मवीर सिंह, उप न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, गोहाना की अदालत ने दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 को पुनरीक्षण के लिए वादी की ओर से वाद में संशोधन के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

दावा: प्री-एम्प्शन के माध्यम से कब्जे के लिए मुकदमा।

पुनरीक्षण में दावा: निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील वाई.के. शर्मा।

प्रतिवादियों की ओर से भूप सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह याचिका ट्रायल कोर्ट के 14 अक्टूबर 1987 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत वादी की ओर से वाद में संशोधन के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था। वादी-याचिकाकर्ता होला राम ने एक श्रीमती राम पैरी के साथ मिलकर पूर्व-खाली के माध्यम से कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया और दावा किया कि वे मुकदमे की भूमि पर समान शेयरों में किरायेदार हैं। उस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वादी श्रीमती राम प्यारी की मृत्यु हो गई। रिकॉर्ड पर लाने के लिए कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 22 दिसंबर,

1984 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। उक्त आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को भी इस न्यायालय ने करम चंद और अन्य बनाम केवलकृष्णानंद अन्य के रूप में खारिज कर दिया था। .

(2) असफल होने के बाद, वादी-होला राम ने वाद में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि वह श्रीमती राम पियारी की मृत्यु के बाद कुल भूमि पर किरायेदार होने का हकदार है। उस आवेदन पत्र ए7 का प्रतिवादियों ने विरोध किया और ट्रायल कोर्ट ने इसे इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि प्रस्तावित संशोधन वास्तविक विवाद या मुकदमे का निर्धारण करने के लिए आवश्यक या उचित नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि उन परिस्थितियों में जब वादी की ओर से यह स्वीकार किया गया था कि मृत वादी श्रीमती पियारी के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने का आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया था और उस आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया था, वर्तमान आवेदन विचारणीय नहीं था।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता वाद भूमि पर श्रीमती के साथ बराबर हिस्से में किरायेदार था। राम प्यारी को भूमि के प्रत्येक खंड पर किरायेदार के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इस तरह वह श्रीमती राम प्यारी की मृत्यु के बाद कुल भूमि की डिक्री का हकदार है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने प्रताप सिंह और अन्य बनाम कालू राम (1) का हवाला दिया।

(4) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। माना जाता है कि, मूल रूप से दायर वाद में वादी ने दावा किया था कि वे मुकदमे की भूमि पर समान शेयरों में किरायेदार हैं, यानी आधा-आधा। यदि एक बार शेयरों का निर्धारण हो जाता है तो एक किरायेदार की मृत्यु पर दूसरा किरायेदार पूरी भूमि पर किरायेदार होने का दावा नहीं करेगा। जैसे, 1, इस फैसले पर भरोसा किया गया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर इसकी कोई प्रयोज्यता नहीं है, क्योंकि इसमें किरायेदारों के शेयरों का निर्धारण नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में, याचिका विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

(5) चूंकि मोशन सुनवाई के समय आगे की कार्यवाही रोक दी गई थी, पार्टियों को 10 अगस्त, 1989 को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

(6) मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए, पक्ष अपनी जिम्मेदारी पर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पक्ष को एक अवसर दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयण वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयण का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh